कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक– 1630/एटा/13100/2015, दिनांक, लखनऊ, फरवरी 02 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय : एटा–शिकोहाबाद मार्ग (एस0एच0–85) किमी0 3.125 की दायीं पटरी पर **ग्राम–निधौली खुर्द** के खसरा संख्या–999स में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0768 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भः भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/06/32/2016/एफसी/358, दि0 01.11.2016
उ0प्र0शासन का पत्रांक–241/14–2–2016–800(39)/2016, दिनांक 09.11.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रकरण में भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित सूचनाओं एवं अभिलेखों को उपलब्ध कराने हेतु शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को निर्देश दिये गये थे। उक्त सूचनायें एवं अभिलेख सम्बन्धित कार्यालय व प्रयोक्ता एजेंसी के स्तर से अपेक्षित थे।

उक्त के कम में वन संरक्षक, अलीगढ़ के पत्रांक–2000/14–1, दिनांक 31.01.2017 द्वारा भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र में इंगित बिन्दुओं की बिन्दुवार सूचना एवं अभिलेख इस कार्यालय को प्रेषित किये गये हैं। अतः उक्त सूचना एवं अभिलेख की दो प्रतियॉ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि विषयगत प्रस्ताव में स्वीकृति निर्गत कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1630 / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
2– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, एटा।
3– डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए–5, से0–3, नोएडा।

02/2/17

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।